The Uttar Pradesh Nagar Swayat Shashan Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 1978

Act 3 of 1978

Keyword(s):
Land, Building, Municipality

Amendment appended: 10 of 1978

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1978

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, 1978]

(उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 29 मार्च, 1978 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 30 मार्च, 1978 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया।)

['भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 31 मार्च, 1978 ई0 को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-1, खण्ड (क) में दिनांक 31 मार्च, 1978 ई0 को प्रकाशित हुआ।]

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1977 का संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1978 कहा जायगा।

[उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 20 मार्च, 1978 ई0 का सरकारी असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग 3—खण्ड (क) देखिये।]

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, सन् 1977 की धारा 7 का संशोधन।

2-उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1977 की धारा 7 में, शब्द और अंक "31 मार्च, 1978" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1978" रख दिये जायेंगे।

Price 10 Paise

पी0एस0यू0पी0—ए0 पी0 412 सा0 (विधा0)-12-3-79-(4029)—1979—1,834+50 S S(मेक0)।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1978

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1978)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 13 अप्रैल, 1978 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 19 अप्रैल, 1977 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया।]

('भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 24 अप्रैल, 1978 ई0 को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग 1—खंड (क) में दिनांक 25 अप्रैल, 1978 ई0 को प्रकाशित हुआ।)

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959, यू0 पी0 म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916, उत्तर प्रदेश जल-सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 और उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारतगणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

अध्याय एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1978 कहा जायगा।

(उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 5 अप्रैल, 1978 ई0 का सरकारी असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट का भाग 3—खंड (क) देखिये।)

Price 30 Paise.

(2) यह धारा और धारा 3 और 5, और धारा 4 का वह भाग जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 108-क में खण्ड (ख) बढ़ाया गया है, तुरन्त प्रवृत्त होगा जबकि इस अधिनियम का शेष भाग 1 दिसम्बर, 1977 से प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

अध्याय दो

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 का संशोधन

उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2 सन् 1959 की धारा 8-क का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 8-क में, उपधारा (1) में, खण्ड (क) में, शब्द "विशिष्ट सदस्य" निकाल दिये जायेंगे।

धारा 107 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 107 में—

(एक) उपधारा (2) में, शब्द "दो सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "तीन सौ एक रुपये" रख दिये जायेंगे;

(दो) उपधारा (5) में, शब्द "पचास रुपये" के स्थान पर शब्द "एक सौ अस्सी रुपये" रख दिये जायेंगे।

नयी धारा 108-क का बढ़ाया जाना

4—मूल अधिनियम की धारा 108 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात—

"103-क--धारा 107 और 108 में किसी बात के होते हुये भी, —

महापालिकाओं द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं के अध्यापकों की नियुक्ति।

(क) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में यथापरिभाषित किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध और किसी नगर महापालिका द्वारा अनुरक्षित किसी महाविद्यालय में किसी अध्यापक की नियुक्ति उस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार की जायगी; और

(ख) इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अनुसार मान्यता प्राप्त और किसी नगर महापालिका द्वारा अनुरक्षित किसी संस्था के अध्यापक या प्रधान की नियुक्ति उस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार की जायगी।"

धारा 110 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 110 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्—

"(1) महापालिका के किसी पदाधिकारी या सेवक को, जिस प्राधिकारी द्वारा वह नियुक्त किया गया था उसके अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत न किया जायगा न हटाया जायगा न अन्य प्रकार से दण्डित किया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि उस पदाधिकारी या सेवक की स्थिति में, जिसे धारा 107 के अधीन राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से नियुक्त किया जाना अपेक्षित है, सम्बद्ध प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह किसी ऐसे पदाधिकारी या सेवक को पदच्युत करने, हटाने या पंक्तिच्युत करने की आज्ञा देने के पूर्व विहित रीति से आयोग से परामर्श करे।"

धारा 175 का प्रतिस्थापन

6—मूल अधिनियम की धारा 175 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्—

"175—धारा 173 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन कर इस निर्बन्धन के अधीन रहते हुए लगाया जायगा कि निम्नलिखित पर ऐसा कर न लगाया जाय,—

(1) किसी ऐसी भूमि पर जिसका उपयोग एकमात्र कृषि प्रयोजनों के लिये किया जाता हो, जब तक कि महापालिका द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिए जल सम्भरित न किया जाय; या

(2) किसी ऐसे भू-खण्ड या भवन पर जिसका वार्षिक मूल्य तीन सौ साठ रुपये से अधिक न हो और जिसे महापालिका द्वारा जल सम्भरित न किया जाता हो; या

(3) किसी ऐसे भू-खण्ड या भवन पर जिसका कोई भाग निकटतम बम्बा या अन्य जल-कल से जहां पर जनता को महापालिका द्वारा जल उपलब्ध कराया जाता हो, उस नगर के लिए विहित अर्ध व्यास के भीतर न हो।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये,—

(क) 'भवन' में उसका अहाता (यदि कोई हो), और, जहां एक ही सामान्य अहाते में अनेक भवन हों, वहां ऐसे समस्त भवन और सामान्य अहाता भी सम्मिलित है;

(ख) 'भू-खण्ड' का तात्पर्य किसी ऐसे भूमि के खण्ड से है जो किसी एकल अध्यासी द्वारा या अनेक अध्यासियों द्वारा सामान्य रूप से धृत हो जिसका कोई भी भाग किसी दूसरे भाग से किसी अन्य अध्यासी या अध्यासियों की भूमि या सार्वजनिक सम्पत्ति के द्वारा पूर्णतया पृथक-कृत न हो।"

7—मूल अधिनियम की धारा 177 में, खण्ड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्—

धारा 177 का संशोधन

"(ङ) किसी ऐसे भवन या भूमि के जिसका वार्षिक मूल्य तीन सौ साठ रुपये या इससे कम हो, प्रतिबन्ध यह है कि उसके स्वामी का उसी नगर में कोई अन्य भवन या भूमि न हो. और"।

अध्याय तीन

यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 का संशोधन

8—यू0 पी0 म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 73 में, उपधारा (2) में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

यू0 पी0 एक्ट संख्या 2, सन् 1916 की धारा 73 का संशोधन

"प्रतिबन्ध यह है कि किसी संस्था के प्रधान या अध्यापक की नियुक्ति यथास्थिति, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 या इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के उपबन्धों द्वारा नियंत्रित होगी।"

9—मूल अधिनियम की धारा 129 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्:—

धारा 129 का प्रतिस्थापन

"129—धारा 128 की उपधारा (1) के खण्ड (दस) के अधीन कर, इस निर्बन्धन के अधीन रहते हुये लगाया जायगा कि निम्नलिखित पर ऐसा कर न लगाया जाय—

(एक) किसी ऐसी भूमि पर जिसका उपयोग एकमात्र कृषि प्रयोजन के लिय किया जाता हो, जब तक कि बोर्ड द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिये जल सम्भरित न किया जाय, या

(दो) किसी ऐसे भू-खण्ड या भवन पर जिसका वार्षिक मूल्य तीन सौ साठ रुपये से अधिक न हो, और जिसे बोर्ड द्वारा जल सम्भरित न किया जाता हो, या

(तीन) किसी ऐसे भू-खण्ड या भवन पर जिसका कोई भाग निकटतम बम्बा या जल-कल से, जहां पर जनता को बोर्ड द्वारा जल उपलब्ध कराया जाता हो उस म्युनिसिपैलिटी के लिये विहित अर्द्धव्यास के भीतर न हो।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये—

(क) 'भवन' में उसका अहाता (यदि कोई हो), और जहां एक ही सामान्य अहाते में अनेक भवन हों, वहां ऐसे समस्त भवन और सामान्य अहाता भी सम्मिलित है,

(ख) 'भू-खण्ड' का तात्पर्य किसी ऐसी भूमि के खण्ड से है जो किसी एकल अध्यासी द्वारा, या अनेक अध्यासियों द्वारा सामान्य रूप से, धृत हो, जिसका कोई भी एक भाग किसी दूसरे भाग से किसी अन्य अध्यासी या अध्यासियों की भूमि या सार्वजनिक सम्पत्ति के द्वारा पूर्णतया पृथक-कृत न हो।"

अध्याय चार

उत्तर प्रदेश जल-सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 का संशोधन

10—उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 की धारा 55 में, खण्ड (ख) में, उपखण्ड (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्—

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 43, सन् 1975 की धारा 55 का संशोधन

"(1) जिसका कोई भाग निकटतम स्थायी नल या अन्य जल-कल से, जहां पर जनता को जल संस्थान द्वारा जल उपलब्ध कराया जाता हो, विहित अर्धव्यास के भीतर न हो ; या

(2) जिसका वार्षिक मूल्य तीन सौ साठ रुपये से अधिक न हो, और जिसे जल संस्थान द्वारा कोई जल सम्भरित न किया जाता हो।"

अध्याय पांच

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 का संशोधन

11—उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा 62 में, उपधारा (5) में, शब्द "उस सीमा तक जहां तक इस धारा के उपबन्धों के प्रतिकूल हों, प्रभावी न रह जायेंगे" के स्थान पर शब्द "किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र के सम्बन्ध में जिसमें यह अधिनियम प्रवृत्त हो, लागू न होंगे" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे।

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 1, सन् 1966 की धारा 62 का संशोधन

अध्याय छ:

प्रकीर्ण

निरसन और अपवाद

12—(1) उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1977 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उ0 अध्या संख्या 197

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में, निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित अध्याय दो, तीन और चार में उल्लिखित किसी अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उपर्युक्त अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 149 सा0 (विधा0)-5-8-78-(1489)-1978-1834+50SS (मैक0)।